न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 5/2023

सन्त कुमार पुत्र श्री गजानन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट

बनाम

1. पुरूषोतमलाल शर्मा पुत्र श्री गजानन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 10.11.2022 उनवानी प्रकरण पुरूषोतम बनाम सन्त कुमार मु0न0 3/2022 अन्तर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

——

उपस्थित

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री योगेन्द्र शर्मा, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.01.2023

उक्त विषयक अपील मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 10.11.2022 के विरूद्व पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनु[illegible]लान्ट के खेत खसरा नम्बर 830 मे बन्द रास्ते को खोलने के आदेश दिये जाते है[illegible]लेख निरीक्षक बगड व पटवारी हल्का बुडाना को उक्त रास्ता खुलवाकर [illegible] हेतु आदेश जारी हो। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील अपीलान्ट की ओर से [illegible] लिखे अनुसार पेश [illegible] जा रही है। अदालत मातहत का आदेश विधि [illegible] उपलब्ध रिकार्ड के [illegible] है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 830 मे से पहले से रास्ता रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा [illegible] 829 मे जाता है। अपीलान्ट के खेत मे से एक रास्ता पहले से जा रहा है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने गौर न कर नया रास्ता अपीलान्ट के खेत मे निकालने का आदेश दिया है। अधिनियम की धारा 251 मे स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भूमिधारी रास्ते का अधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपयोग कर रहा हो और उसकी सहमति के बिना बाधित किया जाये तो लैण्ड होल्डर को उक्त प्रचलित रास्ता को खुलवाने का अधिकार दिया गया है न कि नया रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.13 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

A-4/2

खुलवाने के लिए अधिकृत है। जबकि उक्त प्रकरण मे अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 830 मे से पहले से ही रास्ता जा रहा है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत के द्वारा नया रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है। अदालत मातहत ने अपने आदेश मे खेत खसरा नम्बर 829 मे ज़ो वाले रास्ते को अपीलान्ट के द्वारा बन्द करना बताया है जबकि अपीलान्ट क द्वारा खेत खसरा नम्बर 830 मे से रास्ता चालू है। उसके बावजूद दूसरा रास्ता अपीलान्ट के खेत मे से निकालने का आदेश पारित किया गया है। अदालत मातहत के द्वारा मात्र प्रचलित रास्ते मे अवरोध पैदा करने को हटाया जाकर उसको चालू करवाये जाने का प्रावधान है न कि नये रास्ते का निर्माण कर उसको वालू करवाये जाने का है। अदालत मातहत के द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर नया रास्ता निकालने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व राजस्व रिकार्ड पर गौर न कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट के खेत मे से नया रास्ता निकालने की भूल की है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व पीडित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए परन्तु अदालत मातहत के द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया गया है। जहां प्रकरण मे सारभूत तथ्य होते है है वहां पर दोनों पक्षों को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने ऐसा नही किया। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत तहसीलदार झंझुनूं दिनांक 10.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का आदेश विधि विरूद्व व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विरूद्व है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 830 मे से पहले से रास्ता रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 829 मे जाता है। अपीलान्ट के खेत मे से एक रास्ता पहले से जा रहा है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने गौर न कर नया रास्ता अपीलान्ट के खेत मे निकालने का आदेश दिया है। अधिनियम की धारा 251 मे स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भूमिधारी रास्ते का अधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपयोग कर रहा हो और उसकी सहमति के बिना बाधित किया जाये तो लैण्ड होल्डर को उक्त प्रचलित रास्ता को खुलवाने का अधिकार दिया गया है न कि नया रास्ता खुलवाने के लिए अधिकृत है। जबकि उक्त प्रकरण मे अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 830 मे से पहले से ही रास्ता जा रहा है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत के द्वारा नया रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है। अदालत मातहत ने अपने आदेश मे खेत खसरा नम्बर 829 मे जो वाले रास्ते को अपीलान्ट के द्वारा बन्द करना बताया है जबकि अपीलान्ट क द्वारा खेत खसरा नम्बर 830 मे से रास्ता चालू है। उसके बावजूद दूसरा रास्ता अपीलान्ट के खेत मे से निकालने का आदेश पारित किया गया है। अदालत मातहत के द्वारा मात्र प्रचलित रास्ते मे अवरोध पैदा करने को हटाया जाकर उसको चालू करवाये जाने का प्रावधान है न कि नये रास्ते का निर्माण कर उसको वालू करवाये जाने का है। अदालत मातहत के द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर नया रास्ता निकालने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् व राजस्व रिकार्ड पर गौर न कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट के खेत मे से नया रास्ता निकालने की भूल की है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व पीडित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए परन्तु अदालत मातहत के द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया गया है। जहां प्रकरण मे सारभूत तथ्य होते है है वहां पर दोनों पक्षों को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जाना विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने ऐसा नही किया। अपीलान्ट के खेत मे से पहले से ही दो रास्ते मौजूद है। अदालत मातहत नया रास्ता कायम नही कर सकती। यदि रेस्पोडेन्ट सं0 1 नया रास्ता चहता है तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए मे अनुतोष मिल सकता है जो उसके द्वारा नही चाहा गया है। जो रास्ता खोला गया है वह अपीलान्ट की अकेले की भूमि मे से कायम नही किया जा सकता है। रास्ते के दोनों ओर के खेतो से बराबर–बराबर जमीन रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.13 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

A-4/3

लिए ले जानी चाहिए थी। रेस्पोडेन्ट ने पहले से ही अपीलान्ट की ढाई बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है। यदि जबरन अपीलान्ट की भूमि से रास्ता निकाला जाता है तो अपीलान्ट के पास भूमि ही शेष नही रहेगी और न ही अपीलान्ट को बदले मे कोई भूमि या डी0एल0सी0 दर से राशि मिलेगी। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 10.11.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत प्रचलित रास्ते को खोल सकती है। यदि अपीलान्ट को कम जमीन मिली है तो वह इसके लिए दावे मे अनुतोष प्राप्त कर सकता है। तहसीलदार झुंझुनूं ने बाद जांच गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का की मौजूदगी मे नियमानुसार रास्ता खोला है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 10.11.2022 यथावत रखा जावे।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा प्रचलित रास्ते को खुलवाया है। अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं ने बाद जांच गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का की मौजूदगी मे नियमानुसार रास्ता खोला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत प्रचलित रास्ते को खोल सकती है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं का निर्णय दिनांक 10.11.2022 यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रकरण मे बहस के दौरान एक ओर जहां वकील अपीलान्ट ने यह कथन किया है कि विवादित भूमि के मौके पर पहले से ही दो रास्ते मौजूद है। अदालत मातहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 मे नया रास्ता कायम नही कर सकती। जो रास्ता खोला गया है वह अपीलान्ट की अकेले की भूमि मे से कायम नही किया जा सकता है। रास्ते के दोनों ओर के खेतो से बराबर–बराबर जमीन रास्ते के लिए ले जानी चाहिए थी। दूसरी ओर वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने कथन किया है कि अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत प्रचलित रास्ते को खोल सकती है। ऐसी स्थिति मे हम यह उचित समझते है कि अदालत मातहत रिकार्ड व मौके की जांच कर तय करे कि रास्ता किस श्रेणी का है। अतः अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 10.11.2022 निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है व अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित भूमि की मोड के स्थान जहां से रास्ता खोला गया है की पुनः जांच कर उभय पक्षकारान् की मौजूदगी मे बाद सुनवाई पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। तब तक वर्तमान रास्ता खुला रखा जावेगा। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.13 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनू